न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 60/2020(2020/00309)

अनवान : –

1. रोशनीदेवी उर्फ गुड्डी पुत्री तोखराम जाति जाट निवासी गढ़डा तहसील भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री पवन सिहाग –प्रार्थी
राजपैरोकार –राज0 सरकार

निर्णय   दिनांक :18/02/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा गडड़ा के खाता सं0 52/60 के खसरा संख्या 398 की कुल 8.6000 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीया की 0.227 हैक्टेयर व खाता संख्या 60/237/66 के खसरा संख्या 340/2 की 4. 4705 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398/1 की 0.9170 हैक्टेयर कुल 5.3870 हैक्टेयर में 1/8 हिस्से खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थीया का सही नाम रोशनीदेवी के स्थान पर गुड्डी दर्ज हो गया।

प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम रोशनीदेवी की बजाऐ गुडडी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थीया के पिता के गुडडी नामक कोई लड़की नहीं है जबकि प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड व जनआधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम रोशनीदेवी दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत झाड़सर काधलान व गढ़ड़ा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थीया का उपरोक्त जमाबन्दी में रोशनीदेवी की बजाऐ गुडडी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकती। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम गुडडी पुत्री तोखराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम रोशनीदेवी पुत्री तोखराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:17 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गुडडी के स्थान पर रोशनीदेवी दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम गुडडी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थीया के ग्राम रोही मौजा गडड़ा के खाता सं0 52/60 के खसरा संख्या 398 की कुल 8.6000 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीया की 0.227 हैक्टेयर व खाता संख्या 60/237/66 के खसरा संख्या 340/2 की 4.4705 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398/1 की 0.9170 हैक्टेयर कुल 5.3870 हैक्टेयर में 1/8 हिस्से में रोशनीदेवी दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थीया स्वयं एवं सुबेसिंह ने पचास रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा गडड़ा के खाता सं0 52/60 के खसरा संख्या 398 की कुल 8.6000 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीया की 0.227 हैक्टेयर व खाता संख्या 60/237/66 के खसरा संख्या 340/2 की 4.4705 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398/1 की 0.9170 हैक्टेयर कुल 5.3870 हैक्टेयर में 1/8 हिस्से में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम रोशनीदेवी के स्थान पर गुडडी दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व भामाशाह पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम आदराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा गडड़ा के खाता सं0 52/60 व खाता संख्या 60/237/66 के मुश्तर्का खाता में प्रार्थीया का नाम **''गुडडी के स्थान पर रोशनीदेवी''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए गुड्डी ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:43:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़